भूमि मालिकों और आवंटियों को सुनवाई की तिथि पर उपस्थित रहने को कहा

अग्रणी समूह के मामले की 15 जून से परियोजनावार रोज होगी सुनवाई

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

बिहार रेरा (रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) के नए अध्यक्ष नवीन कुमार और सदस्य आरबी सिन्हा व नूपुर बनर्जी की संयुक्त बेंच ने चर्चित अग्रणी समूह के मामले के दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद निर्देश दिया कि चूंकि ये मामले काफी समय से लंबित हैं, इसलिए 15 जून से अब परियोजनावार प्रतिदिन सुनवाई की जाएगी। परियोजना के अनुसार भूमि मालिकों और आवंटियों को सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा। रेरा के एक प्रतिनिधि को सभी चर्चाओं में जोड़ा जाएगा, ताकि पैसा सीधे रेरा में स्थानांतरित हो जाए। शिकायतकर्ता यदि चाहें तो अपनी ओर से एक व्यक्ति को नामांकित भी कर सकते हैं। मामलों को समूहबद्ध किया जाएगा और परियोजनावार सुनवाई की जाएगी, जिसमें भूस्वामियों को भी आवंटियों के रूप में जोड़ा जाएगा। इसके लिए अग्रणी ग्रुप एक दिन के भीतर परियोजनाओं की शुरुआत के वर्ष के बारे में जानकारी देगा, ताकि मामलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सके। प्रमोटर को वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।

रेरा ने नकद वापसी के बदले जमीन लेने की इच्छा रखने वालों से मांगा प्रस्ताव

रेरा ने प्रारंभिक जांच से पाया कि भूस्वामियों के पास कोई पैसा नहीं बचा है। वहीं कई शिकायतकर्ताओं ने अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रतिवादी द्वारा पैसे जमा करने की ईमानदारी पर संदेह व्यक्त किया। कुछ शिकायतकर्ताओं ने नकद वापसी के बदले धवलपुरा/परमानन्दपुर, सोनपुर में भूमि के समकक्ष भूखंड लेने की इच्छा व्यक्त की। इस पर रेरा ने निर्देश दिया कि सभी शिकायतकर्ता जो भूमि के खिलाफ अपने रिफंड दावे को समायोजित करने के इच्छुक हैं, वे अपनी इच्छा ईमेल द्वारा रेरा को भेज सकते हैं। रेरा ने अग्रणी के प्रोमोटर को फिर कहा कि उसके निर्देशों का पालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा।

डीडीएल इंफ्राटेक को तय शेड्यूल के हिसाब से ग्राहकों को प्लॉट की रजिस्ट्री और कब्जा देने का दिया निर्देश

पटना | बिहार रेरा के नए अध्यक्ष नवीन कुमार और सदस्य आरबी सिन्हा व नूपुर बनर्जी की संयुक्त बेंच ने डीडीएल इंफ्राटेक के मामले में सुनवाई करते हुए तय शेड्यूल के हिसाब से ग्राहकों को प्लॉट की रजिस्ट्री और कब्जा देने का निर्देश दिया है। रेरा ने बिल्डर को ग्राहकों की रजिस्ट्री में जो कमियां हैं उन्हें 15 अगस्त तक सुधरवाने के लिए कहा है। कंपनी से एक सप्ताह में शेड्यूल दाखिल करने का निर्देश दिया है, ताकि जो लोग भुगतान कर चुके हैं, उनके प्लॉट की रजिस्ट्री और कब्जा कब तक दिया जाएगा। बचे हुए लोगों को हर हाल में 30 जून तक पजेशन देने को कहा है। रेरा ने तय किया कि अबतक एक साथ चल रहे केसों में से अग्रणी वुड्स, अख्तियारपुर में एक सप्ताह में पजेशन दिया जाएगा। अगली सुनवाई 21 जून को होगी।

Scanned with CamScanner